Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 SHISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में दहेज कुप्रथा की भूमिका

डॉ. रचना श्रीवास्तव
प्राध्यापक समाजशास्त्र, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,रीवा,मध्य प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 1

Page Number : 67-72

Publication Issue :
January-February -2022

Article History
Received : 05 Feb 2022
Published : 15 Feb 2022

सारांश–वर्तमान समय पर दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के देखने एवं विभिन्न समाचार पत्रों के अध्ययन पर ऐसा महसूस होता है कि अपना देश महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों का प्रशिक्षण केन्द्र बना हुआ है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जबकि महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की एक लंबी श्रृंखला देखने को न प्राप्त हो। नववधू की हत्या एवं आत्महत्या की घटनाओं से समाचार पत्र रक्तरंजित रहते हैं। समाज में अचानक महिला विरोधी अपराधों की ऐसी बाढ़ आ गई है, जो विद्वानों की समझ शक्ति से परे है। इन अपराधों से लोगों की मानसिकता उजागर (स्पष्ट) हो रही है। लोगों का समाज से कोई लेना–देना नहीं है। पति–पत्नी के संबंध जिस तरह से होने चाहिए वह बिल्कुल नहीं हैं, जो परिस्थितियों को गंभीर बनाकर महिला अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। समाज के लोगों का पतन हो चुका है। समाज के लोगों में धन लोलुपता का बीज जो कभी अंकुरित हुआ था, वर्तमान समय में विशाल वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया है। लोगों की मानसिकता मात्र धन प्राप्ति की हो चुकी है। महसूस हो रहा है कि समाज के इन विकृत छवि के लोगों के मन में पालन पोषण के समय से ही महिलाओं के प्रति नफरत के विषैले बीजों का रोपण कर दिया गया था, जो वर्तमान समय पर घरेलू हिंसा से प्रारंभ होकर दहेज के लिए हत्या जैसे विभिन्न घिनौने अपराधों के विकराल स्वरूपों तक लोगों के घर–घर तक फैली हुई है। लोगों की धनलोलुपता का आकर्षण ही लोगों को दहेज की ओर आकर्षित करती है, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण समाज दहेज कुप्रथा व महिला अपराधों की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अपराध सार्वभौम होते हैं। ये होते रहे हैं, हो रहे हैं तथा सदैव होते रहेंगे। मानवीय सामाजिक जीवन व्यतीत करने के कर (टैक्स) के रूप में अपराधों को सहन करना पड़ता है। परन्तु पिछले कुछ दशकों में नारी के प्रति अपराध एवं हिंसात्मक अपराध की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। यह समाज वैज्ञानिकों, नीति–निर्धारकों, समाज सुधारकों व अन्य सभी के लिए एक गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। मानवीय इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाओं की वृद्धि वस्तुतः चिन्ता का एक विषय है।

मुख्य शब्द – नारी, घरेलू, हिंसा, दहेज, कुप्रथा,कानून, सामाजिक, घटना, अपराध।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रस्तावना–आज नारी के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं। 'अपराध' कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नहीं है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द है। सामाजिक दृष्टि से इसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएँ देना, उसके साथ मार–पीट करना, उसका शोषण करना, भूखा–प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना निश्चित रूप से नारी के प्रति अपराध ही कहे जाएँगे। पूरे देश में नारियों के प्रति अपराधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

सिसेर बकारिया संभवतः प्रथम अपराधशास्त्री थे जिन्होंने अपराध को एक सामाजिक रोग निरूपित किया। उनका तर्क था कि जिस प्रकार रोगी के लिए दवा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार अपराधी के लिए दण्ड की व्यवस्था आवश्यक है। इस धारणा के कारण दण्डशास्त्रियों का मानना है कि आपराधिकता से संघर्ष को दरिद्रता, शोषण, बीमारी, नशाखोरी तथा वेश्यावृत्ति के विरुद्ध संघर्ष माना जाना चाहिए। आशय यह है कि यदि समाज से इन बुराइयों को समाप्त किया जाए, तो अपराध निवारण की समस्या सरलता से हल हो सकेगी। तथापि कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके प्रति यह प्रकल्पना लागू नहीं होती है क्योंकि वे मानव की मनोवृत्ति के कारण घटित होते हैं। दूषित मनोवृत्ति वाले अपराधियों के विषय में डॉ० पी० के० सेन द्वारा कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का केवल अस्तित्व ही समाज के लिए भय और आतंक का कारण बना रहता है फिर चाहे वे कोई दुष्कृत्य करें या न करें ये अपराधी कभी भी अपराध कर सकते हैं और इस प्रकार समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अतः समाज में इनकी केवल उपस्थिति ही लोगों के लिए भय और चिन्ता का विषय बनी रहती है।

ऐतिहासिक स्थिति –विभिन्न ग्रन्थों के अध्ययन पर दहेज के संबंध में कुछ जानकारियां इस प्रकार प्राप्त होती है। ये स्त्रोत सूर्य (सूर्य की पुत्री) तथा सोम (यानि चन्द्रमा) के विवाह पर आधारित रुपक में उल्लेखित हैं। इनमें बताया गया है कि वधू सुन्दर वस्त्रों से सज धजकर नेत्रों, सिर आदि का श्रृंगार कर अपनी सखियों के साथ अपने होने वाले पति के घर के लिए रथ में प्रस्थान करती है। उसका दहेज उसके रथ में एक बक्से में रखा होता था। इसी प्रकार अथर्ववेद में उल्लेखित है जिसमें राजघरानों की वधुएं अपने साथ दहेज में सौ गाएं लाती थीं। अथर्ववेद में ही एक और सन्दर्भ है जिसमें एक राजा को श्राप दिया गया कि उसकी रानी उसके लिए कोई दहेज नहीं लाएगी। एक "स्मृति" में यहां तक कहा गया है कि सौदेबाजी के आधार पर तय किया गया विवाह "पशु विवाह" है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा पक्ष धन वसूल करता था।

द्रोपदी, सीता, सुभद्रा, उत्तरा सभी को विवाह के समय उनके माता–पिता द्वारा मूल्यवान उपहार, घोड़े, हाथी और जवाहरात दिए गये थे। जातक कथाओं में भी उल्लेख है कि किस प्रकार मूल्यवान उपहार विवाह के समय वर को दिए जाते थे। तुलसीदास के रामचरित से भी यह संकेत मिलता है कि दहेज प्रथा प्रचलित थी। आज के संदर्भ में इतना स्पष्ट है कि जो उपहार विवाह के समय दिए जाते थे, वे दहेज समझे जाते थे, लेकिन उस समय यह उपहार ऐच्छिक रुप से स्नेहवश दिये जाते थे। दहेज, कन्यादान संस्कार का एक भाग होता था, जो कि आज के दहेज से बिल्कुल भिन्न था। ऐसा प्रतीत होता है कि दहेज प्रथा जैसी आज प्रचलित है, अतीत में नहीं थी। केवल राज परिवारों या कुलीन परिवारों में ही विवाह के समय वर को उपहार दिये जाते थे। हमारी स्मृतियों में आठ प्रकार के विवाहों को मान्यता दी

गई है। केवल "ब्राह्म" विवाह में ही पिता अपनी कन्या उत्तम व योग्य वर को उपहार सहित देता था। इस प्रकार दहेज में दिए जाने वाले उपहार केवल पिता की इच्छा पर आधारित होते थे।

दहेज की अवधारणा –साधारण अर्थ में ''दहेज से अभिप्राय उस धन व उपहारों एवं वस्तुओं से है, जो कि पत्नी विवाह में अपने पति के लिये लाती है''। मैक्स रेडिन के अनुसार– ''वह सम्पत्ति जो व्यक्ति विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके रिश्तेदारों से प्राप्त करता है''। ऐसी ही परिभाषा ब्रिटानिक विश्वकोश में दी गई है जिसके अनुसार दहेज "वह सम्पत्ति है जो एक स्त्री को उसके विवाह के समय दी जाती है"। किन्तु विवाह में प्राप्त हुई वस्तुएं क्योंकि वधू की ही निजी सम्पत्ति होती है और कुछ वर या वर के माता–पिता को दी जाती है, अतः दहेज की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती हैः– "वे उपहार व मूल्यवान वस्तुएं जो वधू, वर व उसके रिश्तेदारों को विवाह में मिलती है।''

प्राचीन काल में धार्मिक आधार पर दहेज "दक्षिणा (स्वेच्छा से दिया गया उपहार माना जाता था, किन्तु अब यह अनिच्छा से दिया जाता है। जगदीश चन्द्र जैन द्वारा कहा गया है कि बौद्ध काल में भी दहेज का प्रचलन था। मुस्लिम काल में भी दहेज के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं सन्त तुकाराम ने अपनी पुत्रियों के विवाह में गाँव वालों की मदद से दहेज दिया। चैतन्य महाप्रभु के श्वसुर अपनी कन्या का विवाह उनसे करने में संकोच कर रहे थे क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में दी जाने वाली दहेज के उपहार जुटाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहे थे। राजपूताना में विशेष रूप से मध्ययुग में दहेज प्रथा ने भयानक रूप धारण कर लिया था, यद्यपि यह राजा महाराजाओं तक ही सीमित था।

दहेज की देय धनराशि लड़के की नौकरी व आमदनी, लड़की के पिता का आर्थिक व सामाजिक स्तर, लड़के के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, लड़की व लड़के की शिक्षा, लड़की की नौकरी व वेतन, लड़की का सौन्दर्य व शारीरिक गठन, लड़के व लड़की के परिवार की संरचना तथा सुखद भविष्य की सुरक्षा आदि कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या के माता–पिता रुपया और उपहार न केवल विवाह के समय देते हैं, बल्कि वे पति के परिवार को उपहार जीवन भर ही देते रहते हैं। मेक्रिम मेरियट का मानना है कि इसके पीछे भावना यह है कि व्यक्ति की पुत्री या बहन दूसरे नातेदारी समूह की असहाय सम्पत्ति बनकर रह जाती है। अतः उसके ससुराल वाले उसको सुखी रखें, इस उद्देश्य से कन्या के माता–पिता वर पक्ष के लोगों की समय समय पर खूब आवभगत करते हैं।

घरेलू हिंसा –आज नारी के प्रति आपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है, अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर–गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय नारी सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति व आत्म–उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा। परन्तु इसके विपरीत सैकड़ों विवाहित नारियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते हैं। वे पति द्वारा मार–पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी अंधेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं, जहाँ उनकी चीख–पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। दुःख तो यह है कि ऐसी मार–पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है। पड़ोसी ऐसे मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति–पत्नी के बीच एक निजी मामला समझा जाता है। यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जाएँ तो वहाँ भी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की जाती हैं। पुरुष को पत्नी की पिटाई का अधिकार है, आम आदमी यह मानकर चलता है। दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से शांत और सम्मानित प्रस्थिति वाले अनेक परिवारों में, जहाँ पति–पत्नी दोनों शिक्षित और आत्म–निर्भर हैं, वहॉ भी मार–पीट की घटनाएँ होती हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टि से नारी बड़ा असहाय महसूस

करती है क्योंकि वह जहाँ कहीं शिकायत करें पड़ोसी, उसके सगे–सम्बन्धी, पुलिस, वकील या जज, सभी उसे समझौता करने की ही सलाह देते हैं।

सोनल के अनुसार इस घरेलू हिंसा के विरुद्ध संगठित प्रयास किया जाना जरूरी है। नगरों में नारियों को परस्पर बातचीत करना सीखना चाहिए और एक–दूसरे के अनुभवों से फायदा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत तो ऐसे संरक्षण गृहों की है, जहाँ ऐसी परिस्थिति में नारी अपने बच्चों के साथ सिर छिपा सके और फिर इसी दशा में आवश्यक कदम उठा सके। यहाँ यह बता दिया जाना आवश्यक है कि कानून की दृष्टि से नारी के प्रति यह घरेलू हिंसा एक अपराध है और पुलिस का यह दायित्व है कि ऐसे मामलों की जाँच करे। किसी भी व्यक्ति के प्रति हिंसा निजी विषय नहीं हो सकती, यह तो सार्वजनिक मामला है। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएँ, पत्नी को पीटना, मानसिक प्रताड़ना, विधवाओं तथा बुजुर्ग नारियों पर अत्याचार इत्यादि को प्रमुखतः सम्मिलित किया जा सकता है।

दहेज कुप्रथा के कारण अन्य अपराध –समाज में दहेज रूपी कुप्रथा होने के कारण बहुत से ऐसे अपराध समाज में घटित होते हैं जो सीधे–सीधे लोगों के निगाह में नहीं आ पाते परन्तु समाज में इसके भविष्य में अनेक दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं जिन्हें निम्न स्वरूपों में अध्ययन किया जा सकता है।

(1) दहेज की आशंका के कारण अनेक माता–पिता अपने बच्चियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखते हैं।

(2) दहेज के लिये पैसा बचाने के उद्देश्य से बच्चियां कोचिंग आदि सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं।

(3) इसी तरह के अनेक छोटे–छोटे खर्चों पर लोग नियंत्रण करके बच्चियों की अनेक जरूरतों को रोककर उनके दहेज की रकम एकत्रित करते हैं और बच्चियों के बचपनों की आवश्कताओं पर अकारण रोक लगाई जाकर उनके बचपन के अधिकारों से वंचित कर उनके साथ एक ओर अपराध किया जाता है।

इसी प्रकार समाज में बच्ची के जन्म के पश्चात् ही अनेक प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होने लगती हैं जिसकी मुख्य जड़ दहेज कुप्रथा ही है।

दहेज हत्याएँ – भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य माना जाता है, इसलिए यह एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। आए दिन समाचारपत्रों में दहेज की शिकार अभागी नारियों के जलाने की घटनाओं का विवरण छपा होता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है और दहेज का समाज के प्रत्येक समुदाय में प्रसार भी होता जा रहा है। इसके विरुद्ध हाल ही में कठोर कानून भी बनाए गए हैं, पर पति के परिवार में अकेली नारी क्या करे, पिता या भाई भी कब तक विवाहित बेटी या बहन को अपने घर पर रखे। कहीं–कहीं आर्थिक कठिनाई उन्हें मजबूर करती है कि वे उसे पति के घर वापस भेज दें और कहीं–कहीं सामाजिक निन्दा उन्हें मजबूर करती है कि वे बेटी के लालची ससुराल वालों के साथ समझौता करने का प्रयत्न करते रहें। परिणाम अभागी नारी की मृत्यु व प्रताड़ित होना ही होता है।

अधिकांश दहेज हत्याएँ पति के घर में पति पक्ष के लोगों द्वारा एकान्त में की जाती हैं। इनका कोई अधिक ठोस प्रमाण न मिल पाने के कारण पति तथा पति पक्ष के लोग ऐसा करने पर भी कई बार बच जाते हैं। अनेक दहेज हत्याओं को सामान्य मृत्यु बता दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हो पाती।

राम आहूजा द्वारा दहेज हत्याओं के संबंध में निम्न जानकारी दी गई है:–

- मध्यम वर्ग की नारियों में दहेज हत्याएँ निम्न तथा उच्च वर्ग की नारियों की तुलना में अधिक होती हैं।
- 70 प्रतिशत दहेज हत्याओं की शिकार नारियाँ 21 से 24 वर्ष की आयु की होती हैं।
- दहेज हत्या एक उच्च जाति प्रघटना है न कि निम्न जाति की समस्या ।
- दहेज हत्या से पहले युवा दुलहनों का अनेक प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है।
- दहेज हत्याओं के प्रमुख प्रेरक पति का स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व, प्रभुताशाली प्रकृति व व्यक्तित्व में असामंजस्य इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख हैं।
- दुलहन की शिक्षा व उसकी दहेज हत्या में कोई सहसम्बन्ध नहीं पाया जाता है।
- दुलहन को जिन्दा जला देने के मामलों में परिवार की रचना प्रमुख भूमिका निभाती है।

दहेज कुप्रथा नियंत्रण के सुझाव –जिस कार्य को समाज करने में अक्षम या असमर्थ हो वहॉ पर सरकार को समाज हित में नये कानूनों का निर्माण किया जाकर उन्हें शक्ति से पालन कराने के प्रयास किये जाने चाहिए। देश की पचास प्रतिशत आबादी महिलाओं व बच्चियों की है जिनकी सुरक्षा जो समाज हित में भी है, इसके लिए सरकार को कठोर निर्णय लिये जाने चाहिए जिसके लिये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं –

(1) बच्चियों को किसी भी स्थिति में पढ़ाई से वंचित नहीं होने दिये जाने का अधिनियम बनाया जाना चाहिए।

(2) किसी भी घर में जन्मे पुत्र व पुत्री में किसी भी तरह पुत्री की पढ़ाई का स्तर कम नहीं होना चाहिए।

(3) पुत्री की पढ़ाई में कमी करने वाले लोगों को शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में भी लड़कियों को कम पढ़ाया जा रहा है लोगों को बच्चियों को पढ़ाने हेतु जागरूक किया जाना चाहिए।

(5) जो लोग बच्चियों को न पढ़ा रहे हों उन्हें समाज के कार्यों से बहिष्कृत किया जाना चाहिए।

(6) शिक्षा ही वह शस्त्र है जिससे हर प्रकार के युद्ध जीते जा सकते हैं, अतः बच्चियों को शिक्षित ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित किये जाने के प्रयास से ही दहेज रूपी कुप्रथा से विजय प्राप्त की जा सकती है।

उपसंहार –नारियों के प्रति हिंसा इसलिए महत्त्वपूर्ण मानी जाती है कि जिससे उसे प्यार करने व संरक्षण प्रदान करने की आशा की जाती है वही उसे पीटना शुरू कर देता है। यह पति पर पत्नी के विश्वास को पूर्णतः भंग कर देता है। कई बार ऐसी घटनाएँ पति नशे में भी अधिकतर करते हैं परन्तु सामान्यतः भी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। वह सारा अत्याचार चुपचाप सहन करती है और अपने भाग्य को कोसती रहती है।

समाज में दहेज ही ऐसी कुप्रथा है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रारंभ होकर हत्या तक के अपराधों से पीड़ित कर रखा है। वास्तविकता यही है कि यदि विवाह पश्चात् लड़की पक्ष से दहेज की लालसा न हो तो निश्चित है कि महिलाओं की अनेक समस्याएं स्वमेव समाप्त हो जावेगी महिला अपराधों की नींव ही दहेज कुप्रथा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल जी.के.–सामाजिक विघटन, आगरा बुक स्टोर आगरा, तृतीय संस्करण 1982
2. आहूजा राम –भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर 1999
3. परांजपे डॉ. ना.वि.–अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन सेंट्रल लॉ. पब्लिकेशंस इलाहाबाद 2003
4. महाजन डॉ. धर्मवीर– अपराध शास्त्र, विवेक प्रकाशन दिल्ली 2013 एवं डॉ. कमलेश
5. मिश्रा डॉ. आराधना – अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान, अनिल प्रिंटर्स एण्ड एवं डॉ. शालिकरामस्टेशनर्स रीवा 2020
6. वरे डॉ. एस.एल. –भारतीय इतिहास में नारी, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल 2009